अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट   मुकाम - गंगापुर सिटी

~~उपजिलाधिकारी~~ रक्षा   बनाम   दीपक वगैरा

मुकदमा 2144   नं० 83   सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-7-15	वादी रक्षा उर्फ रिछ्या , बुद्धा पुत्रगण सांवल्या जाति माली नि० मडूकलां ने यह दावा लोक अदालत कैम्प कोर्ट गंगापुर सिटी मे हमारे समक्ष पेश किया। दावे मे वादीगण ने ग्राम दलावा की भूमि ख०नं० 341, 342, 343, 344, 346 मे बुद्धा के नाम दर्ज भूमी हिस्सा $\frac{1}{3}$ मे वादीगण व प्रतिवादी नारायण, सोनपाल का नाम हिस्सा बराबर मे दर्ज करने, ख०नं० 345 ग्राम दलावा मे वर्तमान खातेदारों के साथ वादी रक्षा उर्फ रिछ्या का नाम दर्ज करने, ग्राम चूली की भूमि ख०नं० 1355 मे प्रतिवादी नारायण के स्थान पर वादी रक्षा उर्फ रिछ्या, बुद्धा तथा प्रतिवादी सोनपाल, नारायण का नाम हिस्सा बराबर दर्ज करने, ग्राम मडूकलां की भूमि ख०नं० 445, 447, 448, 449, 452 लगायत 469 मे प्रतिवादी नारायण, सोनपाल के नाम दर्ज $\frac{1}{5}$ हिस्सा मे इनके साथ वादी रक्षा उर्फ रिछ्या व बुद्धा का भी नाम दर्ज करने, ख०नं० 473, 474, 475, 476 मे प्रतिवादी नारायण के नाम दर्ज $\frac{1}{5}$ हिस्सा मे वादी रक्षा उर्फ रिछ्या, बुद्धा तथा प्रतिवादी सोनपाल के नाम हिस्सा बराबर दर्ज करने का निवेदन किया है। वादपत्र के साथ वादीगण ने नकल खतौनी एकीकरण सं० 2016 ग्राम दलावा खाता नारायण वगैरा, नकल जमाबंदी सं० 2021 से 2024, नकल मिलान क्षेत्रफल हाल सं० 2039, नकल खतौनी सं० 2039, नकल जमाबंदी सं० 2071 से 2074, नकल खतौनी एकीकरण सं० 2017 ग्राम चूली, नकल खतौनी बन्दोबस्त सं० 2003 से 2022 ग्राम चूली खाता सांवल्या, नकल मिलान क्षेत्रफल एकीकरण ग्राम चूली, नकल मिलान क्षेत्रफल	नि० नारायण नि० सोनपाल बुद्धा नि० रक्षा उर्फ [illegible]

हाल ग्राम चूली, नकल जमाबंदी सं० २००६ से ०९ ग्राम चूली, नकल जमाबंदी सं० २०६९ से २०२२ ग्राम मदूकलां, नकल मिलान क्षेत्रफल हाल ग्राम मदूकलां, नकल जमाबंदी सं० २०२८ से २०२९ ग्राम मदूकलां, पेश किए हैं।

आज कैम्प गंगापुर सिटी मे वादीगण रक्षा उर्फ रिछ्या, बुद्धा तथा प्रतिवादी नारायण व सोनपाल स्वयं उपस्थित हैं। इन्होने राजीनामा पेश किया तथा वादपत्र मे वर्णित भूमि ग्राम दाबा की ख०नं० 341, 342, 343, 344, 346, 345, ग्राम चूली की भूमि ख० नं० 1355, ग्राम मदूकलां की भूमि ख० नं० 445, 447, 448, 449, 452 लगायत 469, 473, 474, 475, 476 मे सांवत्या की भूमि होने का उल्लेख करते हुए इन सभी नम्बरो मे वादीगण रक्षा उर्फ रिछ्या, बुद्धा तथा प्रतिवादी नारायण व सोनपाल का समान हिस्सा दर्ज करने का निवेदन किया है एवं इसी अनुसार वादपत्र निर्णीत करने का निवेदन किया है।

प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन कर, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि पैत्रक है तथा इसमे वादीगण का व प्रतिवादी नं० 1, 2 का समान हक है। अतः राजीनामा स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :-

(1) ग्राम दाबा की भूमि ख०नं० 341, 342, 343, 344, 346 मे दर्ज खातेदार बुद्धा हि० $\frac{1}{3}$ मे बुद्धा के साथ रक्षा उर्फ रिछ्या, नारायण व सोनपाल का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। अर्थात $\frac{1}{3}$ हिस्से मे रक्षा उर्फ रिछ्या, बुद्धा, नारायण व सोनपाल की खातेदारी दर्ज की जावे। इनका चारो का उपरोक्त भूमि मे समान हिस्सा रहेगा। इसी प्रकार ख०नं० 345 ग्राम दाबा मे खातेदार नारायण, सोनपाल, बुद्धा पुत्रान सांवत्या के साथ रक्षा उर्फ रिछ्या का नाम भी

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(2) ग्राम चूली की भूमि ख०नं० 1355 में दर्ज प्रतिवादी नारायण पुत्र सांवल्या के स्थान पर वादी रुक्षा उर्फ रिछ्या, बुद्दा तथा प्रतिवादी सोनपाल, नारायण के नाम हिस्सा बराबर बराबर दर्ज किया जावे।	
	(3) ग्राम मडूकलां की भूमि ख०नं० 445, 447, 448, 449, 452 लगायत 469 में प्रतिवादी नारायण, सोनपाल के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा में प्रतिवादी नारायण, सोनपाल के साथ साथ वादी रुक्षा उर्फ रिछ्या व बुद्दा का नाम भी हिस्सा बराबर बराबर दर्ज किया जावे तथा भूमि ख०नं० 473, 474, ~~475~~ 475, 476 में दर्ज नारायण प्रतिवादी हिस्सा 1/5 में वादी रुक्षा उर्फ रिछ्या, बुद्दा तथा प्रतिवादी सोनपाल, नारायण, का नाम हिस्सा बराबर बराबर दर्ज किया जावे।	
	(4) प्रतिवादी नं० 3 ता 40 के विरुद्ध वादीगण को दावा वापस लेने की अनुमति दी जाती है।	
	उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी नं० 1, 2 को भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी नं० 1, 2 का हिस्सा दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। डिक्री जारी की जावे।	
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	(नवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी — (नवल बिहारी गुप्ता) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी — (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

नम्बर
अहकाम
हुक्म
में जा

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी-: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

(उनवान पृष्ठ भाग पर अंकित है।)

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 83ए/2015

वादी की ओर से वादी रक्षा उर्फ रिक्ष्या, बुद्धा व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी नारायण,सोनपाल की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 15.7.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिकी दी जाती है कि लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार :-

1. ग्राम छावा की भूमि ख0न0 341, 342, 343, 344, 346 में बुद्धा के नाम 1/3 हिस्से में बुद्धा के साथ रक्षा उर्फ रिक्ष्या, नारायण व सोनपाल का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे अर्थात 1/3 हिस्से में रक्षा उर्फ रिक्ष्या, बुद्धा, नारायण व सोनपाल की खातेदारी दर्ज की जावे । इस भूमि में इन चारो का समान हिस्सा रहेगा । ख0नं0 345 ग्राम छावा में खातेदार नारायण, सोनपाल, बुद्धा पुत्रान सांवल्या के साथ रक्षा उर्फ रिक्ष्या का नाम भी दर्ज किया जावे।

2. ग्राम चूली की भूमि ख0नं0 1355 में दर्ज प्रतिवादी नारायण पुत्र सांवल्या के स्थान पर वादी रक्षा उर्फ रिक्ष्या, बुद्धा तथा प्रतिवादी सोनपाल, नारायण के नाम हिस्सा बराबर बराबर दर्ज किया जावे ।

3. ग्राम महूकलां की भूमि ख0नं0 445, 447, 448, 449, 452 लगायत 469 में प्रतिवादी नारायण, सोनपाल के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा में प्रतिवादी नारायण, सोनपाल के साथ साथ वादी रक्षा उर्फ रिक्ष्या व बुद्धा का नाम भी हिस्सा बराबर बराबर दर्ज किया जावे तथा ख0नं0 473, 474, 475, 476 में दर्ज नारायण प्रतिवादी हिस्सा 1/5 में वादी रक्षा उर्फ रिक्ष्या, बुद्धा, प्रतिवादी सोनपाल का नाम भी हिस्सा बराबर बराबर दर्ज किया जावे।

4. प्रतिवादी नं0 3 ता 40 के विरूद्ध वादीगण को दावा वापस लेने की अनुमति दी जाती है।

उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी नं0 1, 2 को भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी नं0 1, 2 का हिस्सा दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 15.7.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उपजिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

1. रता उर्फ किया पुत्र सांवल्या, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. बुद्धा पुत्र सांवल्या, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी —वादीगन

बनाम

1. नारायण पुत्र पुत्र सांवल्या, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. सोनपाल पुत्र सांवल्या, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. ऊंकार पुत्र कन्हैया, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
4. विशन्या पुत्र गोरधन, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
5. मूलचन्द पुत्र गोरधन, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
6. पून्या पुत्र गोरधन, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
7. किशनलाल पुत्र गोरधन, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
8. बुद्धा पुत्र गोरधन, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
9. श्रीफूल पुत्र मूलचन्द, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
10.मोहनसिंह पुत्र देवीलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
11.नर्वदा बेवा देवीलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
12.रामोबाई पुत्री देवीलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
13.प्रेमबाई पुत्री देवीलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
14.रमेशी पुत्री देवीलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
15.रामस्वरूप पुत्र पतले, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
16.मुंशी पुत्र पतले, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
17.बच्चू पुत्र भरोसी, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
18.हरिमोहन पुत्र भरोसी, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
19.सम्पत्ती बेवा भरोसी, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
20.रामा पुत्र ग्यारसा, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
21.चिरंजीलाल पुत्र रामखिलाडी, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
22.धनसिंह पुत्र रामखिलाडी, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
23.हरिसिंह पुत्र रामखिलाडी, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
24.मुरारी पुत्र हीरा, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
25.ओमप्रकाश पुत्र हीरा, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
26.राधेश्याम पुत्र हीरा, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
27.जीतमल पुत्र हीरा, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
28.सोमोती बेवा हीरा, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
29.पुषमा पुत्री हीरा, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
30.शीला पुत्री हीरा, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
31.माया पुत्री हीरा, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
32.जयराम पुत्र गोटू, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
33.रामचरण पुत्र गोटू, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
34.रामकिशोर पुत्र गाटू, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
35.परबो बेवा गोटू, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
36.कम्पूरी पुत्री गोटू, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
37.मांग्या पुत्र झण्डू, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
38.किशोरी पुत्र झण्डू, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
39.ख्याली पुत्र टूण्डा, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
40.गुड्डी पुत्र टूण्डा, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
41.लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 15-7-2015

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय,
गंगापुर सिटी

रसा उर्फ रिस्या वगैरा बनाम नारायण वगैरा

अन्तर्गत धारा 88, 188, 207 R.T.A.

प्रकरण संख्या

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री रसा उर्फ रिस्या, बुद्धा ... उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। ... अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

ग्राम छाबा की भूमि ख०नं० 341, 342, 343, 344, 346 में वादी रसा उर्फ रिस्या प्रतिवादी नारायण व सोनपाल का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं है इसलिए उपरोक्त भूमि में वादी रसा उर्फ रिस्या, बुद्धा व प्रतिवादी नारायण, सोनपाल का नाम हिस्सा बराबर के रूप में बुद्धा के नाम दर्ज 1/3 हिस्से में दर्ज किया जावे। पुराना ख०नं० 345 ग्राम छाबा में दर्ज वर्तमान खातेदार नारायण, सोनपाल, बुद्धा पुत्रान सांवल्या के साथसाथ वादी रसा उर्फ रिस्या का नाम भी दर्ज किया जावे।

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें।

प्रार्थी पक्ष 1. रसा उर्फ रिस्या (नि० रसा)
2. ....
3. बुद्धा (बुद्धा)
4. ....

प्रतिवादी पक्ष 1. नारायण (नि० नारायण)
2. ....
3. सोनपाल (नि० सोनपाल)
4. ....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ....
(प्रार्थी पक्ष) नाम ....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ....
(प्रतिवादी पक्ष) नाम ....

प्रार्थी / वादी रसा उर्फ रिस्या, बुद्धा एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी नारायण, सोनपाल ... राजीनामे की इबारत को सुन व समझ कर सभी ... द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। ... किया गया। अतः राजीनामा हस्ताक्षरित पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा ...

(ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)

(रवि कुमार शर्मा)
(एडवोकेट)
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(नवलबिहारी गुप्ता)
(एडवोकेट)
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी / अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

14- रमशा । ↓ — परफोर्म पक्षकार

B/D-Y.S/110